फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री हीरालाल | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 110/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 21.09.2022

पत्रावली तहसीलदार मावली से बाद जांच पेश होने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार मावली से जांच कर रिपोर्ट प्राप्त हैं। तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त कर रिपोर्ट अनुसार नक्शें में तरमीम शुद्वि किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 340 रकबा 2.4443 हेक्टेयर का साबिक खसरा नम्बर 38 अनुसार रकबा 2.1390 हेक्टेयर दर्ज होना चाहिए था जबकि 0.3153 हेक्टेयर रकबा अधिक दर्ज कर लिया गया है इसी अनुसार आराजी नम्बर 324 रकबा 1.0198 हेक्टेयर का साबिक खसरा नम्बर 41 का रकबा 1.2642 हेक्टेयर दर्ज होना था जो 0.2244 हेक्टेयर कम दर्ज हुआ हैं। सेग्रीगेशन के दौरान गलत तरमीम होने से कब्जेनुसार सही तरमीम किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि सेग्रीगेशन के दौरान उक्त त्रुटि हुई हैं मौके पर खसरा नम्बर 340 में से 0.2244 हेक्टेयर भूमि कम कर आराजी नम्बर 324 मे दर्ज किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं।

पत्रावली, दस्तावेज एवं रिपोर्ट के अध्ययन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि पूर्व में आराजी नम्बर 340 के साबिक नम्बर 38 होकर रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा रकबा 152.5 फीट की जरीब अनुसार दर्ज था जो वर्तमान में 132 फीट की जरीब अनुसार आराजी नम्बर 340 के रकबे में तरमीम के वक्त 0.3153 हेक्टेयर भूमि की वृद्वि हो गई हैं इसी अनुसार आराजी नम्बर 324 के साबिक नम्बर 41 का रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा 152.5 फीट की जरीब अनुसार था जो वर्तमान में 132 फीट की जरीब अनुसार आराजी नम्बर 324 में तरमीम के वक्त 0.2244 हेक्टेयर कम दर्ज कर दिया गया हैं। उक्त राजस्व नक्शें में सही तरमीम नहीं होने से प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली, उपतहसीलदार सनवाड की रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा का अन्तर सेग्रीगेशन के दौरान तरमीम के वक्त होना बताया हैं। मौके पर आराजी नम्बर 324 पर कब्जे अनुसार प्रार्थी काबिज हैं। तहसीलदार मावली द्वारा तरमीम को संशोधित कर प्रस्तावित नक्शा पेश किया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 340 में वृद्वि होने से 0.2244 हेक्टेयर भूमि 340 में से कम की जाकर खसरा नम्बर 324 में तरमीम किया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा उदाखेडा पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 340, 324 भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम संशोधित किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली